

सहसंचालक,

उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई एलफिस्टन तंत्र विद्यालय आवार,
३ महापालिका मार्ग, मुंबई - ४०० ००९

वेब साईट - www.jdhemumbai.gov.in ई मेल - jdhemumbai.gov.in

दूरध्वनी व फॅक्स क ०२२-२२६५६६००

क्रसहसंउशि/मुवि/कार्यभार/2018-19/९३

दिनांक :- 10.01.2019

प्रति,

प्राचार्य,

सेंट मॅग्दालेन महाविद्यालय,
वांडा,
मुंबई.



- विषय- दि. १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची अनुज्ञेयता.
- संदर्भ -
- १ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ / २५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
 - २ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
 - ३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
 - ४ शासन निर्णय बीजीटी/१०९७/प्र.क्र.२४/ अ/अर्थसकल्प-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
 - ५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
 - ६ शासन निर्णय क्र. युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४
 - ७ शासन निर्णय क्र. एनजीसी/२२९९/(४७९५)/ विशि-४ दि. २६-८-१९९९
 - ८ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
 - ९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
 - १० शासन निर्णय एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
 - ११ शासन परिपत्रक. एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
 - १२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.
 - १३ शासन निर्णय क्र. अढावा- १५१३/ प्र क्र १२५/ मशि-५ दि. ३-११-२०१८
 - १४ प्राचार्य, यांचे पत्र क्र दि.

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला .

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करुन खालील अटिच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

शिक्षकीय पदे

प्रपत्र अ

| अ. नं. | विषय / पदे | २०१७-१८ चा एकूण कार्यभार | २०१७-१८ ची अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ ची भरलेली पदे | २०१७-१८ ची रिक्त पदे | शेरा |
|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | प्राचार्य | | १ | १ | ० | |
| २ | ग्रथपाल | | १ | १ | ० | |
| ३ | शा.शि.संचालक | | | | ० | |
| १ | ईंग्रजी | ५८ | ३ | २ | १ | |
| २ | मराठी | | | | ० | |
| ३ | हिंदी | ८ | ० | ० | ० | |
| ४ | संस्कृत/सिधी/ पाली | | | | ० | |
| ५ | पर्शियन /जर्मन/फ्रेंच | ४ | ० | ० | ० | |
| ६ | उर्दू/इस्लामिक स्टडीज | | | | ० | |
| ७ | इतिहास | २१ | १ | १ | ० | |
| ८ | अर्थशास्त्र | ५९ | ३ | ३ | ० | |
| ९ | राज्यशास्त्र | | | | ० | |
| १० | तत्वज्ञान | | | | ० | |
| ११ | भूगोल | | | | ० | |
| १२ | मानसशास्त्र | ५५ | ३ | ३ | ० | |
| १३ | समाजशास्त्र | ३६ | २ | २ | ० | |
| १४ | रसायनशास्त्र | | | | ० | |
| १५ | पदार्थविज्ञान | | | | ० | |
| १६ | वनस्पतीशास्त्र | | | | ० | |
| १७ | प्राणीशास्त्र | | | | ० | |
| १८ | सूक्ष्म जीवशास्त्र | | | | ० | |
| १९ | जीवरसायन शास्त्र | | | | ० | |
| २० | जीवशास्त्र | | | | ० | |
| २१ | संख्या शास्त्र | | | | ० | |
| २२ | वाणिज्य | ५२ | ३ | ३ | ० | |
| २३ | लेखाशास्त्र | ६६ | ३ | ३ | ० | |
| २४ | संख्याशास्त्र | | | | ० | |
| २५ | गणित | ४३ | २ | २ | ० | |
| २६ | बीझनेस इकॉनॉमिक्स | | | | ० | |
| २७ | बीझनेस लॉ | १२ | ० | ० | ० | |
| २८ | पर्यावरण शास्त्र /एफ.सी | २१ | १ | १ | ० | |
| २९ | ग्रामीण विकास | | | | ० | |
| ३० | पायाभूत अभ्यास | | | | ० | |
| ३१ | इतर | | | | ० | |
| ३२ | | | | | ० | |
| | एकूण | | २३ | २२ | १ | |

प्रपत्र व -शिक्षकेत्तर पदे

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील (अनुदानित) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.

| अक्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | विद्यार्थी संख्या |
|------|---|-------------------|
| १ | कनिष्ठ (वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास) व वरिष्ठ महाविद्यालय | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय | ११९७ |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | १४९२ |
| | एकूण | २६८९ |
| २ | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या | ४६८ |

संवर्गनिहाय शिक्षकेत्तर कर्मचारी

| अक्र | पदनाम | अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | शेरा |
|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| १ | प्रबंधक | १ | १ | ० | |
| २ | अधिक्षक | १ | १ | ० | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | १ | ० | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | १ | ० | १ | |
| ५ | सहा. ग्रंथपाल | १ | १ | ० | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | ३ | ३ | ० | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | १० | ७ | ३ | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | २ | १ | १ | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | | | ० | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ९ | ५ | ४ | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | ९ | ७ | २ | |
| १२ | शिपाई | १२ | ६ | ६ | |
| | एकूण | ५० | ३३ | १७ | |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सादर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे

- १ प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तुकड्या / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन परिगणीत होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
- २ महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तुकड्या/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी अनिवार्य आहे.

- ३ अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात यावी.
- ४ प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहिल.
- ५ व्याख्याने / प्रात्यक्षिके/ ट्यूटोरियल (पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.
- ६ महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदांनुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहित प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
- ७ पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.
- ८ अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये . अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सदर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय यांची राहिल.
- ९ महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारीत पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.



सहसंचालक,
उच्च शिक्षण मुंबई विभाग मुंबई